संख्या– /VI/2018–29(3)/2014

प्रेषक,

डा0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग **देहरादून : दिनांक : 17 दिसम्बर, 2018**

विषयः– "मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–298/2014, स्थान–मुनिकीरेती में स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा", के अवशेष कार्य की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–984/मुनिकीरेती स्टे0पत्रा0/2015–16/दे0दून, दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–298/2014, स्थान–मुनिकीरेती में स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा"**, के कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं विकास निर्माण निगम को निदेशालय के माध्यम से उपलब्ध कराये गये प्रस्तुत आगणन ₹ 211.80 लाख के सापेक्ष विभागीय टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त संस्तुत आंकलित धनराशि ₹ 203.23 लाख ***(सिविल निर्माण कार्यों हेतु ₹ 195.05 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों हेतु ₹ 8.18 लाख)*** की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ***प्रथम किस्त*** के रूप में ₹ 66.67 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या–1001/VI/2016–29(3)/2014, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 द्वारा उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त अवशेष धनराशि ***द्वितीय/अन्तिम किस्त*** के रूप में **चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹ 136.56 लाख (₹ एक करोड़ छत्तीस लाख छप्पन हजार मात्र)** आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की ***"राज्यपाल महोदया"*** सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :–

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014, में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। उक्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–474/XXVII(7)/2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के विहित शर्तो के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

6. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष समय–समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन को प्रेषित किये जाय तथा समस्त कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर ही पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

8. अधिप्राप्ति कार्यो हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति संशोधित नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

10. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

11. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि ***चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–11–लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय–03 खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102 खेलकूद स्टेडियम–05 स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (चालू कार्य)–24 वृहत्त निर्माण कार्य*** मद के पक्ष के नामें डाला जायेगा।

12. यह स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3(150)–2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में दिये गये निर्देशों के कम में निर्गत की जा रही है।

संलग्नकः–अलाटमेंट आई0डी0 संख्या– S18211017 **,दिनांक** 17 **दिसम्बर, 2018**

भवदीय,

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

F:\JANUARY 2018\FINANCE 2018\G.O.Docx

पृष्ठांकन संख्या– 849 /VI/2018–29(3)/2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
7. जिला कीडा अधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, निर्माण इकाई, ऋषिकेश।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य मोहन नौटियाल)
अपर सचिव।